दिनांक 12.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 13/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 12.05.2023 को थाना कोतवाली पडरौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमाली रोड़ तिराहा ग्राम बसहिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जवाहिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 23 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पडरौना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पडरौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जवाहिर निवासी विशुनपुरा बुजुर्ग नोनिया पट्टी थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 50 ग्राम अवैध चरस।

जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौली बाजार

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 11.05.2023 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घोड़ादेउर और रिठिया के बीच में पड़ने वाली नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शैलेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अहिरौली पर पंजीकृत अभियोग धारा 392/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शैलेन्द्र निवासी ग्राम रिठिया थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर।

जनपद खीरी/थाना निघासन

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12.05.2023 को थाना निघासन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लखाही पम्प के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–नीरज 2–गुरतेज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नीरज निवासी ग्राम गुलरिया थाना भीरा जनपद खीरी।

2—गुरतेज निवासी ग्राम मांज फार्म थाना सिंगाही जनपद खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत अभियोग में धारा 148/452/504/506/302/149 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—साजिद 2—अब्दुल रऊफ 3—गुलफाम 4—शादाब 5—साबिर को आजीवन सश्रम कारावास व 60—60 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्त साजिद व शादाब को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 03—03 वर्ष के कारावास व 02—02 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)I भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त फरमान को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गाजीपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष व 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गाजीपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 1–अभियुक्त चन्दन गुप्ता को 10 वर्ष सश्रम कारावास 2–अभियुक्त अनिल गुप्ता को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 12–12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः एनसीआर क्षेत्र में स्थापित अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय कोरियर कंपनी के कंटेनर में से सील तोड़ कर इलेक्ट्रानिक व कीमती सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 05 सदस्य गिरफ्तार</u>

दिनांकः12–05–2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी के कंटेनर में से सील तोड़ कर इलेक्ट्रानिक व कीमती सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 05 सदस्यों को गिरफ्तार कर व उनके कब्जे से 50 लैपटॉप एवं 19 मोबाइल मय वाहन कीमत लगभग 40 लाख रू0 बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः</u>

01–बनवारी पुत्र चरन सिंह, निवासी नन्दा का नगला धनौली, थाना मलपुरा, आगरा।

02–जगदीश पुत्र हरदेव, निवासी मोहल्ला लोधी कस्वा मनियॉ धौलपुर, राजस्थान।

03–राजेन्द्र राजपूत पुत्र चन्द्रभान, निवासी नगला नन्दा मुल्ला की प्याउ, थाना मलपुरा आगरा।

04–राजेश राजपूत पुत्र राकेश कुमार, निवासी नौआरी ग्राम भोजपुर, थाना अतरौली, अलीगढ़।

05–राधेश्याम पुत्र रतन सिंह, निवासी चन्दननगर, थाना कोतवाली देहात एटां।

बरामदगीः

1. 49 अदद लैपटाप डेल कम्पनी,
2. 01 अदद लैपटाप एप्पल कम्पनी,
3. 19 अदद मोबाइल फोन 5 जी पोको कम्पनी,
4. 01 अदद एक्सयूवी कार स0–यू0पी0 81 सीयू0 7045
5. 01 अदद मोटर साइकिल स0–यू0पी0 81 केएन 7534
6. 01 अदद स्कूटी स0–यू0पी0 0 इएल 7138
7. 02 अदद घडी
8. 02 अदद वोटर कार्ड
9. 02 अदद पैन कार्ड
10. 02 अदद डी0एल0 कार्ड
11. 02 अदद आधार कार्ड
12. 07 अदद ए0टी0एम0
13. 01 अदद डोन्गल जीयो कम्पनी,
14. 20,000 नगद

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः

दिनांकः 11–05–2023 समयः करीब–20.45 बजे, स्थान हाथरस रोड पर मछली पुलिया के पास थाना एत्माददौला जनपद आगरा।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश व आस पास के राज्यो में अंतरराष्ट्रीय कोरियर कंपनी के कंटेनर में से सील तोड़ कर इलेक्ट्रानिक व कीमती सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सक्रिय होकर कार्य करने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा के पर्यवेक्षण में व पुलिस उपाधीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 11.05.2023 को निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा, हे0का0 दिनेश गौतम, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 बृजराज सिंह, हे0का0 रविन्द्र सिंह, हे0का0 विवेक कुमार सिंह, हे0का0प्रो0 कमाण्डों लाल सिंह, का0 प्रदीप सिंह, का0 दिनेश चौधरी, का0 चालक बृजकिशोर मय सरकारी वाहन स्कार्पियो यूपी–70 एजी 2460, सफारी नं0 यूपी–32बीजी 4487 के आगरा क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अन्तर्राज्यीय गैंग के कुछ सदस्य जो बड़े–बड़े कन्टेनरों से सील खोलकर सामान चोरी कर लेते है। आज उक्त चोरी के सामान की क्रय–विक्रय के लिए आये है इस सूचना पर स्थानीय थाना एत्माददौला आगरा से पुलिस को हमराह लेकर बताये स्थान पर पहुॅचकर मुखबिर की निशादेही पर आवश्यक घेराबन्दी कर उपरोक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि हम लोग मिलकर बड़े–बड़े कन्टेनरों से उनके चालकों से मिलकर कन्टेनरों में जाने वाले कीमती इलैक्ट्रोनिक व कीमती सामान को निकाल लेते है हमारे अलावा हमारे गैंग में आमिर पुत्र अनवार खॉ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जिरौली धूम सिंह थाना अतरौली अलीगढ़ व रवि राजपूत पुत्र मोहन लाल निवासी मुल्ला की प्याउ धनौली थाना मलपुरा आगरा जो वर्तमान में कासंगज जिले में पुलिस में सिपाही है, और बिक्रम जो कन्टेनर का चालक है जो बसुन्धरा एटा का निवासी है ये माल जो बरामद हुआ है वह करीब 15–20 दिन पूर्व एक कन्टेनर जिसे विक्रम उपरोक्त गुडगॉव हरियाणा से एक ट्रक लेकर निकला था जिसको रवि राजपूत सिपाही के कहने पर हम लोगो ने मिलकर योजनाबद्व तरीके से इसी गाडी नम्बर यूपी–81 सीयू 7045 से कन्टेनर के चालक विक्रम के साथ मिलकर चोरी किया था। पूरे माल को बेचकर रवि राजपूत, राजेश, बनवारी, राधेश्याम, राजेन्द्र व आमिर व विक्रम को मिलना था माल खरीदने के लिए जगदीश आया है जिसने हमसे 18 मोबाइल फोन खरीदे हैं, इसी खरीद के 20 हजार रूपये बनवारी से तलाशी में मिले हैं तथा बनवारी उपरोक्त ने यह भी बताया कि हमारे एचडीएफसी बैक एकाउन्ट न0– 50100487024271 ब्रांच प्रथम प्लोर 20–20ए ताज रोड सदर बाजार आगरा मोबाइल नम्बर 8533949830 व मेरी भाभी शारदा देवी के एकाउन्ट नं0–5880101002574 केनरा बैक ब्रांच आईएफसी कोड CNRB0005880 में दो–दो कुल चार लाख रूपये मोबाइल व लैपटाप बेचने के

एवज में लिये है, जिसका विवरण हमारे बैक एकाउन्ट में है। रवि राजपूत ने भी सौदे के समय आने को कहा था ये एक्सयूवी गाड़ी रवि राजपूत की है, जो उसने राजवीर राणा से लेकर वनवारी को दी है वो आता उससे पहले आपने पकड़ लिया और बिक्रम उपरोक्त को मुकदमा लिख जाने पर थाना विलासपुर जनपद गुरूग्राम हरियाणा की पुलिस ने जेल भेज दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो व उसके गैंग के अन्य सदस्यो के विरूद्व थाना एत्मादददौला, जनपद आगरा में मु0अ0सं0ः 229/2023 धाराः 407/411/413/120 बी0 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया।अन्य वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———